52/17 सरकार vs ग्रा.पं.एड (सिणधरी बेगार)

20.6.18	पत्रावली राजस्व लोक अदालत अभियान में अटल सेवा केन्द्र ग्राम पंचायत एड सिणधरी में पेश हुई। प्रार्थी पक्ष की ओर पैरोकार सरकार नायब तहसीलदार (कोर्ट) सिणधरी उपस्थित। विप्रार्थीगण एकतरफा। प्रार्थी पक्ष की बहस सुनी गई। दौराने बहस कथन किया कि विवादित भूमि मे दर्शित रकबा का उपयोग आमजन द्वारा आवागमन हेतु उपयोग में लिया जा रहा है। और मौके पर रास्ता चल रहा है। आगे ओर कथन किया कि प्रस्तावित रकबे में खसरा संख्या 125 की किस्म गै.मु.ओरण में दर्ज है,जो प्रतिबन्धित श्रेणी में होने के कारण उक्त रकबे को छोड़ते हुए शेष प्रस्तावित रकबे को राजस्व रिकार्ड में गै.मु. रास्ता दर्ज किया जावे। हमनें उभयपक्ष को सुना। और पत्रावली के सलंग्न राजस्व रिकार्ड,दस्तावेजात का गम्भीरता पूर्वक अवलोकन किया। तथा तथ्यो का विधि के परिप्रेक्ष्य में विवेचन किया गया। जिसमें पाया गया कि पाया कि,आवेदन में दर्शित विवादित भूमि का रकबा किस्म गै.मु.ओरण एवं बा.दोयम में दर्ज है। जिसका मौके पर उक्त प्रस्तावित रकबा का आमजन के आने जाने हेतु रास्ते के रूप में उपयोग में लिया जा रहा है,लेकिन खसरा संख्या 125 की किस्म गै.मु.ओरण दर्ज है।जो प्रतिबन्धित श्रेणी में है। जिसकी किस्म परिवर्तन नहीं की जा सकती है। लेकिन आमजन को आने जाने हेतु किसी प्रकार की रूकावट ग्राम पंचायत एड सिणधरी द्वारा नहीं की जावेगी। एवं तहसीलदार सिणधरी द्वारा किस्म परिवर्तन की अनुशंसा की गई है। ऐसी सूरत में न्यायालय को गै.मु.रास्ता दर्ज किये जाने में कोई आपर्ति प्रतीत नही होती है। लिहाजा प्रार्थी का आवेदन लोकभावना एवं जनहित को मध्यनजर रखते हुए आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर विस्तृत आदेश पृथक से लिखा जाकर सुनाया गया और शामिल मिसल किया गया। पत्रावली फेसल सुमार होकर दाखिल दफतर हो। उपखण्ड अधिकारी सिणधरी	

Scanned by CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर सिणधरी

(राजस्व लोक अदालत/केम्प स्थल–अटल सेवा केन्द्र ग्रा.प.एड सिणधरी)

पीठासीन अधिकारी–श्री अंजुम ताहिर सम्मा,आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या 52/2017

दिनांक

क्रमांकः/राजस्व/2018/

–::आदेश::–

श्रीमान जिला कलक्टर बाड़मेर के पत्रांकःप.12()(1)राजस्व/2016/7205–40 दिनांक 10.10.2016 प्राप्त निर्देशों की अनुपालना में तहसीलदार सिणधरी द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि राजस्व ग्राम डाबड़ भाटियान पटवार मण्डल एड सिणधरी तहसील सिणधरी की जमाबंदी संवत् 2071–2074 के अनुसार निम्नांकित भूमि निजी खातेदार में दर्ज है। लेकिन मौके पर रास्ते के उपयोग में आ रही है, जिसे गैर मुमकिन रासता दर्ज करवाने के आदेश प्रदान करावें।

भूमि धारक तहसीलदार सिणधरी द्वारा अनुशंषा किये जाने पर राजस्व (ग्रुप–6) विभाग राजस्थान सरकार के परिपत्र क्रमांकःप 3(2)राज–6/2003/पार्ट/04 दिनांक 10.08.2016 के अनुसरण में राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131 एवं 132 तथा राजस्थान भू–अभिलेख नियम 1957 के नियम 60(एच) के तहत राजस्व **ग्राम डाबड़ भाटियान पटवार मण्डल एड सिणधरी** तहसील सिणधरी की निम्नांकित दर्शित निजी खातेदारी को गैर मुमकिन रास्ता दर्ज करने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार सिणधरी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव व नजरी नक्शा आदेश का अभिन्न अंग रहेगा।

क्र.स.	खातेदार का नाम	ख.न.	कुल रकबा (बीघा)	किस्म	रास्ते हेतु मौके अनुसार प्रस्तावित भूमि	
					रकबा	किस्म
1	अनोपसिंह वल्द भीखसिंह हरिसिंह वल्द आम्बसिंह कौम राजपूत सा.देह खातेदार रहन–जेटीजीबी शाखा सिणधरी	117/2	27-05	बा.दो.	0-14	गै.मु.रास्ता
2	रतनसिह ईश्वरसिंह जेठूसिंह किशनसिंह पि.वागसिंह कौम राजपूत सा.देह खातेदार रहन–रतनसिंह ईश्वरसिंह सुगनकंवर जेठूसिंह का हि. एसबीबीजे शाखा सिणधरी	117	27-04	बा.दो.	1-11	गै.मु.रास्ता
3	दुर्गसिंह सांवतसिंह हरिसिंह कमलसिंह पि.बलवन्तसिंह विजयकंवर पत्नि बलवन्तसिंह कौम राजपूत सा.एड मानजी खातेदार रहन–जेटीजीबी शाखा सिणधरी	115	164-11	बा.दो.	0-11	गै.मु.रास्ता

उपखण्ड अधिकारी,सिणधरी

क्रमांकः/राजस्व/2018/

दिनांक

प्रतिलिपिः–सूचनार्थ एवं आवश्यक पालनार्थ।

1. तहसीलदार सिणधरी।

उपखण्ड अधिकारी,सिणधरी

Scanned by CamScanner